तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 191/2013 जीसीएमएस : 2013/00005 यशपाल सिंह बनाम राजकुमारी आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,207,209,92ए आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं। वादी साक्ष्य हेतु अनेकों अवसर दिए जा चुके है। दिनांक 09.12.2024 को 200रूपये कोस्ट पर अन्तिम अवसर दिया गया था। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2025 को 500 रूपये कोस्ट पर पुनः अवसर यह अंकित करते हुए दिया गया था कि आगामी पेशी पर साक्ष्य स्वतः बंद समझी जावे। परन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा आज साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की है। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। प्रतिवादी अधिवक्ता साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द हो चुकी है, जिस कारण वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः वादी का वाद पत्र साक्ष्य अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner